



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122021-232022
CG-DL-E-20122021-232022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 710]
No. 710]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

सं. 53/2021-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 869(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 733(अ), 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "12.5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 21 दिसंबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/77/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2021

No. 53/2021-Customs

G.S.R. 869(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 48/2021-Customs, dated the 13th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 733(E), dated the 13th October, 2021, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 4, in column (4), for the entry, the entry “12.5%” shall be substituted.

2. This notification shall come into effect on the 21st December, 2021.

[F. No. 354/77/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.